संख्या- 449/2024/ 1091/ 41-1-2024-001-125-Budget-2020

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च , 2024

विषयः- **मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धना योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के 05 विधानसभा क्षेत्रों के पर्यटन हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10064/मु0मु0प0सं0यो0/(74)2021 दिनांक 14.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धना योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के 05 विधानसभा क्षेत्रों के पर्यटन विकास से** सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के मद संख्या-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

2- अवगम कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-49/2021/4772/41-1-2020-124(बजट)/2020, दिनांक 27.01.2021, शासनादेश संख्या--45/2021/4771/41-2020-125(बजट)/2020, दिनांक 27.01.2021 शासनादेश संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट) 2021 टी0सी0, दिनांक 19.03.2021 शासनादेश सं0-556/2021/2933/41-2021/125(बजट) 2020,दिनांक 29.10.2021, शासनादेश सं0-115/2022/671(2)/41-202-08 (बजट)/2022, दिनांक 1603.2022 द्वारा निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है:-

क्र0सं0	विधान सभा क्षेत्र	योजना का नाम	प्रस्तावित लागत	प्रशासकीय स्वीकृति	अब तक कुल अवमुक्त धनराशि
1	कपिलवस्तु	योगमाया मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.95	47.78 (जी0एस0टी0 सहित)	45.67
2	बांसी	चेतिया में स्थित मोती सागर शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	47.94	47.96 (जी0एस0टी0 सहित)	43.16
3	डुमरियागंज	गाला देवी मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.89	46.59 (जी0एस0टी0 सहित)	41.93
4	इटावा	कटेश्वर मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.88	47.59 (जी0एस0टी0 सहित)	42.86
5	शोहरतगढ़	समय माता मंदिर कठेला का पर्यटन विकास कार्य।	49.96	49.13 (जी0एस0टी0 सहित)	46.95

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त पस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के 05 विधानसभा क्षेत्रों के पर्यटन विकास हेतु अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	टेण्डर की लागत/जी0एस0टी0/सेन्टज/ लेबर सेस/कन्टीजेन्सी/बाट आप आइटम सहित कुछ धनराशि	अब तक कुल अवमुक्त धनराशि	मांग की गयी धनराशि	अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	A	B	C	D	E=B-C
1	कपिलवस्तु	योगमाया मंदिर का पर्यटन विकास कार्य। 49.95	47.78 (जी0एस0टी0 सहित)	45.67	45.67	3.74	2.11
2	बांसी	चेतिया में स्थित मोती सागर शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	47.94	47.96 (जी0एस0टी0 सहित)	43.16	3.72	3.72 (मांगी गयी धनराशि के आधार पर)
3	डुमरिया गंज	गाला देवी मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.89	46.59 (जी0एस0टी0 सहित)	41.93	41.93	4.05 (मांगी गयी धनराशि के आधार पर)
4	इटावा	कटेश्वर मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	49.88	47.59 (जी0एस0टी0 सहित)	42.86	3.86	3.51
5	शोहरतगढ़	समय माता मंदिर कठेला का पर्यटन विकास कार्य।	49.96	49.13 (जी0एस0टी0 सहित)	46.95	4.52	2.03
कुल योग (रू0 पन्द्रह नाख बयालीस हमार मात्र)							15.42

(1) पर्यटन निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की निविदा लागत (Tender Cost) से अधिक की धनराशि का भुगतान न हो।

(2) परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेश दिनांक 27.01.2021 शासनादेश 19.03.2021,शासनादेश दिनांक 29.10.2021, शासनादेश दिनांक 16.11.2021 व शासनादेश दिनांक 16.03.2022 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया हैं।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक, पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी । परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध्यान कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 15.42 000 (रू० पन्द्रह लाख बयालीस हजार मात्र) को बालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्ष -5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3.जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0 एस0 उ०प्र० जल निगम, , लखनऊ।
6. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
7.वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन मुख्यालय, लखनऊ ।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, झांसी मण्डल, झांसी।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।